27 12/19 पत्रावली वास्ते आदेश। आज पेश हुई।

प्रकरण में बहस बमुलाय उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। बरवक्त बहस वकील वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाने का निवेदन किया। वकील वादीगण की बहस के जवाब में वकील प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित प्रापत्र टी. आई. (निर्णित) का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि मौके पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा लिये गये बयानात एवं किये गये मौका निरीक्षण में वादीगण के मृतक पिता मख्खन लाल ने स्वयं विवादित अराजी ख. नं. 7 में स्थित मन्दिर श्री रूघनाथ जी की कभी पूजा अर्चना नहीं करना स्वीकार किया है, विवादित ख. नं. 7 के चारो तरफ अन्य ख. नं. भी उक्त मन्दिर की ही खातेदारी भूमि है जिस पर वादीगण के मृतक पिता द्वारा प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में होना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण में पर्चा डिक्री जारी हो। (रणजीत सिंह) सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला (सीकर) सत्यमेव जयते